(169)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0अली**

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–2060–एक / 2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–10–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक–305 / अपील / 1999–2000

.....

1– सियादुलारी पत्नी रामलखन तिवारी (मृतक) वारिसान–
1. अनिल कुमार तिवारी
2. रजनीश कुमार तिवारी

निवासीगण–खुटहा तहसील अमरपाटन
जिला–सतना(म0प्र0)

———आवेदकगण

विरूद्ध

1– ओमप्रकाश पुत्र श्यामसुन्दर
2– जयप्रकाश पुत्र श्यामसुन्दर
निवासीगण–मोहल्ला उर्रहट रीवा
3– रामाधार पिता रामविशाल
4– बलराम पिता रामनिरंजन
5– रामराज्य पुत्र रामनिरंजन
6– रोहिणी प्रसाद पुत्र रामनिरंजन
7– कृष्ण कुमार पुत्र रामनिरंजन
8– विन्धेश्वरी प्रसाद पिता भुवनेश्वर प्रसाद
9– केसरीप्रसाद पुत्र भगवत प्रसाद
10– माधव पुत्र रामगोपाल
11– रामसुजान पिता रामगोपाल
निवासीगण–ग्राम खुटहा तहसील थाना रामपुर
तहसील अमरपाटन, जिला–सतना

———अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–10–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शाह की आराजी नं0 449, 450, 1/619, 42/620 किता 4 जुमला रकबा 2.38 एकड़ का राजबन्दी दानपत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक अमरपाटन ने दिनांक 11.07.1978 को आदेश पारित कर आवेदिका सियादुलारी के नाम नामांतरण का आदेश दिया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 37/अपील/96–97 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 07.02.2000 से अपील अस्वीकार करते हुये, राजस्व निरीक्षक के आदेश को स्थिर रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 305/अपील/1999–2000 में पारित दिनांक 19.10.2001 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त करते हुये अपील को स्वीकार की गई है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक ने अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक अमरपाटन ने आवेदिका सियादुलारी के नाम ग्राम शाह की वादग्रस्त आराजी नं0 449, 450, 1/619, 42/620 किता 4 जुमला रकबा 2.38 एकड़ का नामांतरण दानपत्र के आधार पर किया । जबकि वादग्रस्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र

दिनांक 09.06.78 के जरिये कुल 13 किता अनावेदकगण ने रामनिरंजन तथा रामगोपाल से क्रय करके कब्जा दखल प्राप्त किया था। प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदकगण के नाम नामांतरण पंजी क्रमांक 26 दिनांक 24.02.80 के अनुसार सिर्फ 09 किता आराजियों का नामांतरण किया गया है, बाकी 04 आराजियों पर आवेदिका का नामांतरण है। प्रकरण में विवाद इसी 04 किता आराजियों का है, क्योंकि जब अनावेदकगण ने विक्रय पत्र के कुल 13 किता आराजियों का खरीदा था तो कुल 13 किता आराजियों का नामांतरण अनावेदकगण के पक्ष में होना चाहिये था। किन्तु राजस्व निरीक्षक ने दानपत्र के आधार पर 04 किता आराजियों का नामांतरण आवेदिका के पक्ष में किया तथा शेष 09 किता आराजियों का नामांतरण अनावेदकगण के पक्ष में किया गया, राजस्व निरीक्षक का यह आदेश अवैधानिक है । मध्यप्रदेश भू--राजस्व संहिता 1959 में नामांतरण करने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है, राजस्व निरीक्षक को नामांतरण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने इस विधिक बिन्दु पर बिना विचार किये ही राजस्व निरीक्षक के आदेश को स्थिर रखने में त्रुटी की है। इसी कारण अपर आयुक्त ने अपने आदेश में पूर्ण विवेचना कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त करने में विधिसम्मत कार्यवाही की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 19.10.2001 न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,